



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092022-238760
CG-DL-E-13092022-238760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4070]
No. 4070]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2022/भाद्र 21, 1944
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2022/BHADRA 21, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2022

का.आ. 4251(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2713(अ), तारीख 11 अगस्त 2020, भारत के राजपत्र सं. 2407 तारीख 11 अगस्त 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में “कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील सरदारपुर जिला धार राज्य मध्यप्रदेश में एल.पी.जी के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 25 जनवरी 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6की उपधारा (1)के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6की उपधारा (4)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962की धारा 10के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला: धार		राज्य: मध्यप्रदेश			
तहसील	ग्राम का नाम	सर्वे/प्लॉट नम्बर.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरदारपुर	सलवा	1236	00	09	22
		1240	00	07	05
		1239	00	05	20
		1271	00	06	74
		1304	00	21	15
		1308	00	03	24
		1309	00	01	11
		1310	00	01	75
		1311	00	03	11
		1313	00	01	17

[फा. सं. आर -11025(15)/5/2020-ओआर1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2022

S.O. 4251(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 2713 (E) Dated 11 August 2020 published in the Gazette of the India Gazette No. 2407 dated 11 August 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project” for the transportation of LPG in tehsil Sardarpur District Dhar In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 25-Jan-2021 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the LPG pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District:Dhar			State: Madhya Pradesh		
Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square meter
Sardarpur	Salwa	1236	00	09	22
		1240	00	07	05
		1239	00	05	20
		1271	00	06	74
		1304	00	21	15
		1308	00	03	24
		1309	00	01	11
		1310	00	01	75
		1311	00	03	11
		1313	00	01	17

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-1/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.